दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, मंगलवार 30 नवंबर 2021 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-04, अंक- 63

महत्वपूर्ण एवं खास

एनसीआर में फिर बढ़ा वायु प्रदूषण, हरियाणा का गुरुग्राम दूसरे और गाजियाबाद तीसरे नंबर पर

नोएडा (उप्र) (आरएनएस)। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में हवा की गति धीमी होते हैं एक बार फिर वायु प्रदूषण बढ़ गया है। दिल्ली, सोमवार को एनसीआर का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर रहा, जबकि गुरुग्राम दूसरे नंबर पर और गाजियाबाद तीसरे नंबर पर रहा। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की वायु प्रदूषण के बारे में जानकारी देने वाले 'समीर ऐप के अनुसार, दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 406 रहा, जबकि गुरुग्राम में 396, गाजियाबाद में 382, नोएडा में 370, ग्रेटर नोएडा में 362 और फरीदाबाद में 342 रहा। वहीं, एक्यूआई आगरा में 238, बहादुरगढ़ में 383, बुलंदशहर में 350, हापुड़ में 356 और मेरठ में 324 रहा। एक्यूआई को शून्य और 50 के बीच अच्छा, 51 और 100 के बीच संतोषजनक, 101 और 200 के बीच मध्यम, 201 और 300 के बीच खराब, 301 और 400 के बीच बहुत खराब और 401 और 500 के बीच गंभीर श्रेणी में माना जाता है।

सड़क हादसे में बच्चे समेत पांच लोगों की मौत

प्रयागराज (आरएनएस)। नवाबगंज थाना क्षेत्र के लालगोपालगंज में सोमवार देर रात किसी वाहन की टक्कर से पांच लोगों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पांचों शवों को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई कर रही है।नवाबगंज थाना क्षेत्र के बुदौना गांव निवासी राम सरन पाल 60वर्ष और उनके परिवार के लल्लू पाल 38वर्ष, समयलाल पाल 30, अर्नुन पाल 11वर्ष और पड़ोसी रामचन्दर पाल 55 सोमवार रात किसी शादी समारोह से मोटर साइकिल से अपने घर के लिए लौटे थे। रास्ते में लालगोपालगंज के समीप किसी चार पहिया वाहन ने टक्कर मार दिया। जिससे उक्त सभी लोग गम्भीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद आस-पास के लोगों की सूचना पर पुलिस पहुंची तो चार लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। एक व्यक्ति की सांस चल रही थी। पुलिस ने उसे तत्काल उपचार के लिए ले जा रही थी। लेकिन उसकी भी रास्ते में ही मौत हो गई।पुलिस ने घटनास्थल से प्राप्त मोटर साइकिल के नम्बर के आधार पर परिजनों तक सूचना दी। हादसे की खबर मिलते ही परिवार के लोग बदहवास हालत में घटनास्थल पर पहुंचे। उक्त जानकारी देते हुए थाना प्रभारी ने बताया कि हादसे में पांच लोगों की मौत हुई है। घटनास्थल पर एक मोटर साइकिल मिली है। लेकिन किस वाहन से घटना हुई इसकी जानकारी नहीं मिल पायी। परिवार के सदस्यों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके विधिक कार्रवाई की जा रही है।

ओमीक्रोन की पहली तस्वीर आई सामने, बेहद खतरनाक है यह वायरस

रोम। कोरोना के नए वैरिएंट ओमीक्रोन ने जहां दुनिया के कई देशों में दहशत फैला दी है वहीं इटली के रिसर्चर्स ने ओमीक्रोन की पहली तस्वीर जारी की है। तस्वीर देखकर इस बात से स्पष्ट संकेत मिलता है कि नया स्ट्रेन मूल कोरोना वायरस का बेहद परिवर्तित रूप है। डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले ओमीक्रोन में काफी ज्यादा म्यूटेशंस नजर आ रहे हैं। हालांकि दुनियाभर में सनसनी फैला चुका यह वेरिएंट कितना ज्यादा संक्रामक और घातक बीमारी देता है, अभी इसका पता नहीं चल सका है। दरअसल इटली और जर्मनी में कोरोना वायरस संक्रमण के नए स्वरूप ओमीक्रोन के मामलों की पुष्टि हुई है। अफ्रीकी देश मोजाम्बिक से लौटा व्यक्ति ओमीक्रोन स्वरूप से संक्रमित पाया गया है। यह व्यक्ति एक कारोबारी है और 11 नवंबर को नेपल्स के निकट स्थित अपने घर लौटा था। मिलान स्टेट यूनिवर्सिटी के क्लीनिकल माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट की प्रोफेसर क्लॉडिया अल्टेरी ने कहा कि रिसर्च टीम कोरोना के नए वैरिएंट ओमीक्रोन के म्यूटेशन के बारे में पता करने के लिए उसके 3डी स्ट्रक्चर पर फोकस कर रही है। ओमीक्रोन की ये इमेज साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना और हॉन्ग कॉन्ग के वैज्ञानिकों की तरफ से दी गई जानकारी के आधार पर तैयार की गई है। उन्होंने आगे कहा कि कोविड के नए वैरिएंट इमेज किसी मैप की तरह लगती है जो इसके म्यूटेशन को दिखाती है लेकिन इसके म्यूटेशन की भूमिका के बारे में नहीं बताती है।

तीनों विवादित कृषि कानून निरस्त, लोकसभा में पेश विधेयक बिना चर्चा के पारित

नईदिल्ली (आरएनएस)। तीनों विवादित कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए लोकसभा में पेश विधेयक पटल पर रखे जाने के कुछ ही मिनटों के भीतर पारित हो गया। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार को लोकसभा ने विपक्ष के हंगामे के बीच तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी कृषि विधि निरसन विधेयक 2021 को बिना चर्चा के ही मंजूरी प्रदान कर दी। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर बारह बजे निचले सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने सभा पटल पर आवश्यक कागजात रखवाये । इसके बाद कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी कृषि विधि निरसन विधेयक 2021 पेश किया । इसके फौरन बाद कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने विधेयक पर चर्चा कराने की मांग शुरू कर दी । हालांकि अध्यक्ष ने कहा कि सदन में व्यवस्था नहीं है।

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि आज सदन में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है । इस विधेयक को चर्चा एवं पारित होने के लिये रखे जाने की बात कही गई लेकिन इस पर सरकार चर्चा क्यों नहीं करना चाहती है। कई अन्य विपक्षी सदस्यों को भी कुछ कहते देखा गया लेकिन शोर शराबे में उनकी बात नहीं सुनी जा सकी । लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन में व्यवस्था नहीं है और इस हालात में चर्चा कैसे करायी जा सकती है। आप (विपक्षी सदस्य) व्यवस्था बनाये तब चर्चा करायी जा सकती है। इसके बाद सदन ने शोर शराबे में भी ही बिना चर्चा के कृषि विधि निरसन विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी ।

उल्लेखनीय है कि पिछले साल सितंबर महीने में केंद्र सरकार विपक्षी दलों के भारी विरोध के बीच कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) कानून, कृषि (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार कानून और आवश्यक वस्तु संशोधन कानून, 2020 लाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को राष्ट्र के नाम संबोधन में कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले की घोषणा की थी।

उधर संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार को राज्यसभा की बैठक पूर्व केंद्रीय मंत्री और मौजूदा सदस्य ऑस्कर फर्नांडीज के सम्मान में एक घंटे के लिए स्थगित कर दी गयी। उनका सितंबर महीने में निधन हो गया था। उच्च सदन की बैठक सुबह शुरू होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने मौजूदा सदस्य ऑस्कर फर्नांडीज तथा पांच पूर्व सदस्यों के पिछले दिनों निधन होने का जिक्र किया। सभापति ने पूर्व सदस्यों के. बी. शनप्पा, जानेमाने पत्रकार चंदन मित्रा, हरि ओम नलवा, मोनिका दास और अवनी राय के निधन होने का भी जिक्र किया। सदस्यों ने दिवंगत लोगों के सम्मान में कुछ क्षणों का मौन रखा और बैठक 11 बज कर 20 मिनट पर एक घंटे के लिए स्थगित कर दी गयी।

रजनी पाटिल सहित 5 सदस्यों ने ली राज्यसभा की सदस्यता की शपथ

नईदिल्ली (आरएनएस)। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने पर सोमवार को राज्यसभा में रजनी अशोक राव पाटिल तथा चार अन्य नवनिर्वाचित सदस्यों को उच्च सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई गई। राज्यसभा की बैठक शुरू होने पर इन सदस्यों ने शपथ ली। कांग्रेस की रजनी पाटिल ने सबसे पहले शपथ ली। वह उच्च सदन में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करेंगी। रजनी (63) अपने भाई और सदन के सदस्य राजीव सातव (कांग्रेस) का मई में कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद उत्पन्न जटिलताओं से निधन होने की वजह से रिक्त हुई सीट पर महाराष्ट्र से उच्च सदन के लिए निर्वाचित हुई हैं। रजनी ने मराठी में शपथ ली। वह 2013-18 के दौरान भी राज्यसभा की सदस्य रह चुकी हैं। महाराष्ट्र में परंपरा रही है कि वर्तमान सांसद का निधन होने पर रिक्त हुई सीट के लिए चुनाव निर्विरोध होता है। इसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने सदस्य संजय उपाध्याय का नाम वापस ले लिया और रजनी उच्च सदन के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुईं। रजनी के बाद द्रविड़ मुनेत्र कषगम (डीएमके) के तमिलनाडु से नवनिर्वाचित सदस्य कनिमोझी एन.वी.एन सोमू, के.आर.एन. राजेश कुमार और एम.एम.अब्दुल्ला ने भी शपथ ली। इन तीनों सदस्यों ने तमिल में शपथ ली। तीनों के शपथ लेने के बाद राज्यसभा में अब द्रमुक के सदस्यों की संख्या दस हो गई है।

ममता और केजरीवाल ने दिया कांग्रेस को झटका

» विपक्ष की बैठक में नहीं शामिल हुई टीएमसी और आप

नई दिल्ली (आरएनएस)। संसद के शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत होने जा रही है। इससे ठीक पहले आज कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में विपक्षी दलों की बैठक थी। हालांकि, इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी शामिल नहीं हुई। संसद सत्र की शुरुआत से पहले यह विपक्षी एकता के खिलाफ एक झटका है।

संसद सत्र के पहले ही दिन यानी आज मोदी सरकार तीनों कृषि कानून को वापस लेने का विधेयक सदन के पटल पर रखा और दोनों सदनो में पास भी हो गया। उससे पहले संसद का शीतकालीन सत्र हंगामेदार शुरूआत हुई, क्योंकि विपक्ष ने कई मुद्दों पर चर्चा की मांग की है। हालांकि इस बीच विपक्षी एकता ही कमजोर होती दिख रही है।

सत्र के पहले दिन कांग्रेस की ओर से बुलाई गई विपक्ष की बैठक में टीएमसी और आप ने हिस्सा नहीं लिया है। सत्र शुरू होने से पहले, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को कहा कि देश के सामने ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर गंभीर चर्चा की जरूरत है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि सदन को सुचारू रूप से और व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए सदस्य अपना सहयोग देंगे। सिलसिलेवार किए गए ट्वीट में लोकसभा अध्यक्ष ने आशा व्यक्त की कि सदन की कार्यवाही के दौरान सदस्य अनुशासन बनाए रखेंगे।

संसद सत्र के पहले ही दिन 12 सांसद पूरे सत्र के लिए निलंबित

» पिछले सत्र में अनुशासनहीनता को लेकर की गई कार्रवाई

नई दिल्ली (आरएनएस)। संसद के शीतकालीन सत्र की सोमवार को शुरुआत हुई। पहले ही दिन सदन के पिछले सत्र में अनुशासनहीनता करने वाले राज्यसभा के 12 सांसदों को बाकी बचे पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। निलंबित किए गए सांसदों में कांग्रेस के छह, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के दो, सीपीआई का एक और शिवसेना के दो सांसद शामिल हैं।

राज्यसभा में जिन सांसदों को निलंबित किया गया है उनमें सीपीएम के एलामारम करीम और कांग्रेस की फूलो देवी नेताम, छाया वर्मा, आर बोरा, राजामणि पटेल, सैयद नासिर हुसैन और अखिलेश प्रसाद सिंह, टीएमसी की शांता छेत्री व डोला सेन, सीपीआई के विनय विश्वम और शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी और अनिल देसाई निलंबित कर दिए गए। 11 अगस्त को हुए हंगामे को लेकर ये कार्रवाई हुई है। इन सांसदों के निलंबन को लेकर सदन की ओर से जारी आधिकारिक नोटिस में कहा गया है कि इन सांसदों ने राज्यसभा के 254वें सत्र के आखिरी दिन यानी 11 अगस्त को हिंसक व्यवहार किया, सुरक्षा कर्मियों पर जानबूझकर हमले किए, चेयर का अपमान किया। इन्होंने सदन के नियमों को तार-तार कर दिया और कार्यवाही में बाधा पहुंचाई।

मानसून सत्र के अंतिम दिन किया था हंगामा- संसद का मानसून सत्र विपक्ष के हंगामे के साथ शुरू हुआ था और इसी के चलते समापन की तय तिथि से दो दिन पहले की समाप्त हो गया था। पेगासस जासूसी विवाद और तीन कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष की ओर से सदन में लगातार हंगामा और विरोध प्रदर्शन किए गए थे, जिसके चलते कई बार सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा था। सत्र के आखिरी दिन जब कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन पर चर्चा शुरू हुई थी तब विपक्ष के नेता कथित तौर पर अधिकारियों की मेज पर चढ़ गए थे, काले कपड़े लहराए थे और फाइलें फेंकी थीं। उन्होंने कथित तौर पर सुरक्षा कर्मियों के साथ भी दुर्व्यवहार किया था। वहीं, विपक्षी नेताओं ने यही आरोप उल्टा सुरक्षा कर्मियों पर लगाया था।

पीएम आवास के पास 'संगवारी छत्तीसगढ़' का हुआ शुभारंभ

» अब दिल्ली में आसानी से मिलेंगे छत्तीसगढ़ के नायब उत्पाद

नई दिल्ली (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ की नायाब कारीगरी को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के पास विक्रय हेतु सुलभ कराया गया है। दिल्ली स्थित संतुष्टि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स शॉप नंबर 35 न्यू विलिंगडन कैम्प लोक कल्याण मार्ग एयरफोर्स स्टेशन में विक्रय केन्द्र 'संगवारी छत्तीसगढ़' का आज शुभारंभ छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष श्री राजेंद्र तिवारी के द्वारा किया गया। तिवारी ने इस अवसर पर कहा कि,विक्रय केंद्र के खुल जाने से छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग के उत्पाद अब दिल्लीवासियों को ओर सहजता से सुलभ होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड ने कोरोना काल की विषम परिस्थिति में भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण में अपनी बढ़-चढ़कर सहभागिता निभाई है और ग्रामीणों की आजीविका का साधन बना है। श्रीमती शुक्ला ने बताया कि, छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड ग्रामीण अंचलों में रोजगार के अवसरों का सृजन कर ग्रामीणों में आत्मनिर्भरता की भावना को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ बुनकरों और कारीगरों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों का बेहतर बाजार उपलब्ध कराता है। इसी कड़ी में संगवारी छत्तीसगढ़ नाम से यह विक्रय केंद्र देश की राजधानी में अपनी नई पहचान बनायेगा। कारीगरों के उत्पाद होंगे सुलभ- इस विक्रय केंद्र में छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा खादी शूटिंग वस्त्र, खादी सर्टिंग वस्त्र, खादी गमछा, खादी जैकेट, खादी कुर्ता, खादी पजामा, खेस चादर, कोसा साड़ी, कोसा कुर्ती पीस, जुट पर्स और बांस की बनी सिनरी, मिट्टी के प्रिंटेड थाली सेट और हर्बल सामग्रियों का विक्रय किया जायेगा।

सीतापुर में 24 घण्टे में पांच लोगों की हत्या

सीतापुर (आरएनएस)। अलग अलग थाना इलाकों में 24 घण्टे के भीतर ही पांच लोगों की हुई हत्या की वारदातों ने पूरे जनपद में दहशत फैला दी है। महमूदाबाद में हुई वृद्ध महिला की गोली मारकर हत्या में की दहशत अभी शांत भी नहीं पाई थी कि महोली कोतवाली इलाके में जहां दो लोगों की बीती शनिवार की रात गोली मारकर हत्या कर दी गई तो कोतवाली देहात में एक युवक को ईंट से कूचकर हत्या कर गई। वहीं सिधौली में एक वृद्ध की सदिंग्ध हालात में शव मिला। भाई ने बहू पर हत्या करवाए जाने का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी गई है। जानकारी के अनुसार महमूदाबाद कोतवाली क्षेत्र के बम्हौरी निवासी 50 वर्षीय शकुतंला की घर के बाहर बरामदे में सोते समय गोली मारकर की गई हत्या कर दी गई थी। पुलिस इस मामले में कार्यवही कर रही थी कि कोतवाली देहात इलाके के पंचमपुरवा निवासी संजय शुक्ला 40 वर्ष पुत्र मनोहर की शनिवार की देर रात रंजिश को लेकर कुछ लोगों ने ईट से कूच कर हत्या कर दी। वारदात अंजाम देने के बाद हत्यारे मौके से भाग निकले। जानकारी होने पर परिवार के लोग मौके पर पहुंचे। संजय को जिंदा समझकर परिवार के लोग जिला अस्पताल लाए। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हमारे महोली प्रतिनिधि के अनुसार महोली कोतवाली इलाके के सीतारामपुर गांव निवासी किसान रामनिवास यादव 55 वर्ष पुत्र पातीराम शनिवार की रात खेत की सिंचाई कर रहा था। उसके साथ एक नौकर भी था। इसी बीच रामनिवास की गोली मार कर हत्या कर दी गई। जानकारी होने पर परिवार के लोग मौके पर पहुंचे तो वहां से नौकर भी लापता था। घटना के बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इसके अलावा महोली के ही भुजिया कचूरा संपर्क मार्ग पर शहर कोतवाली इलाके के आलमनगर गदियाना निवासी पिकअप चालक नदीम 32 पुत्र नसीम की लूट के बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसकी खून से सनी लाश पिकअप के पास बरामद हुई है। मृतक के भाई ने बताया कि उसके पास से मोबाइल व हजारों की नकदी गायब हैं।

सुप्रीम कोर्ट का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर केंद्र से जवाब तलब

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के खतरनाक स्तर के मद्देनजर निर्माण कार्यों पर रोक के बावजूद सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट (संसद एवं उसके आसपास निर्माण एवं पुनर्निर्माण परियोजना) निर्माण कार्य काम जारी रखने के मामले में सोमवार को केंद्र सरकार से जल्द जवाब तलब किया।

चीफ जस्टिस एन.वी. रमणा, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने सरकार से जवाब तलब किया। दिल्ली में प्रदूषण के मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता आदित्य दुबे के वकील विकास सिंह द्वारा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में निर्माण कार्य जारी रखने समेत कई मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रदूषण रोकने के उपायों के तहत निर्माण कार्यों पर लगाई गई अस्थाई रोक के बावजूद सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य जारी है। इस पर बेंच ने नाराजगी जाहिर करते हुए केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से जवाब देने को कहा। कोर्ट ने केंद्र सरकार के अलावा दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश सरकारों को एक बार फिर फटकार लगाते हुए कहा है कि प्रदूषण की इस आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए जारी किए गए निर्देशों का पूरी तरीके से सख्ती से तत्काल पालन करें, अन्यथा उन्हें एक स्वतंत्र टास्क फोर्स गठित करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। कोर्ट ने संबंधित सरकारों से हलफनामा दाखिल कर यह बताने को कहा है कि उन्होंने खतरनाक वायु प्रदूषण को तत्काल कम करने के लिए अब तक क्या-क्या उपाय किए हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन दिल्ली एनसीआर द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अमल संबंधी तमाम जानकारियां हलफनामे के जरिए बुधवार तक अदालत के समक्ष पेश करें।

चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय बेंच ने दिल्ली समेत अन्य संबंधित राज्य सरकारों से यह भी बताने को कहा है कि निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध के कारण प्रभावित मजदूरों को उनके कल्याण कोष से मदद करने की स्थिति क्या है। प्रदूषण कम करने के एहतियाती उपाय के साथ ही प्रभावित मजदूरों को मजदूरी देने समेत तमाम मामलों से संबंधित एक्शन टेकन रिपोर्ट अगली सुनवाई दो दिसंबर से पहले हलफनामे के जरिए अदालत में पेश करें। सुप्रीम कोर्ट ने 17 साल के स्कूली छात्र की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पिछली सुनवाई के दौरान राजधानी दिल्ली एवं आसपास के क्षेत्रों में निर्माण कार्यों पर फिर से रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने बिजली और प्लंबरिंग से संबंधित कार्यों को प्रतिबंध के दायरे से बाहर रखा था। पूर्व की सुनवाइयों के दौरान सर्वोच्च अदालत ने निर्माण कार्यों पर रोक समेत कई तरीके के प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन प्रदूषण में कमी का हवाला देते हुए 22 नवंबर को दिल्ली सरकार ने निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध हटा लिया था।